

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

प्रपत्र - आर-0015

आवेदन दिनांक

विषय : माइग्रेशन / (प्रतिलिपी / मूल) / अस्थाई प्रमाण पत्र / अंक सूची प्रतिलिपी / बोर्ड प्रमाण पत्र / (ट्रांसलेशन) अनुवाद प्रमाण पत्र / अंकसूची का सत्यापन / अंकसूची में सुधार करने बाबत ।

मुझे कक्षा के माइग्रेशन (प्रतिलिपी / मूल) प्रमाण पत्र / अस्थाई प्रमाण पत्र / अंक सूची प्रतिलिपी / बोर्ड प्रमाण पत्र / ट्रांसलेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है / अंकसूची का सत्यापन / अंकसूची में सुधार किया जाना है ।

इस संबंध में मुझसे संबंधित आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :-

1. नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में)
2. नाम (हिन्दी में) 3. पिता / पति का नाम
4. माता का नाम 5. कक्षा का नाम
6. परीक्षा (मुख्य / पूरक) वर्ष 7. नियमित / स्वाध्यायी / पत्राचार
8. परीक्षा का रोल नंबर 9. केन्द्र क्रमांक
10. केन्द्र का नाम
11. संलग्न शुल्क : बैंक ड्राफ्ट क्र. / चालान नं. / पोस्टल आर्डर नं.
रुपये (अंकों में) (शब्दों में) बैंक का नाम
बैंक शाखा शाखा कोड 12. चाहा गया अभिलेख / प्रमाण पत्र

केवल सुधार हेतु उपयोग में लायें (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में)

स.क्र.	अंकसूची में कहाँ पर त्रुटि है	अंकसूची में जो गलत लिखा गया है	अंकसूची में सही जो लिखा जाना है
1			
2			
3			

केवल सत्यापन हेतु उपयोग में लायें

स.क्र.	कक्षा	परीक्षा वर्ष	केन्द्र क्रमांक	रोल नंबर
1				
2				

घोषणा - पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा / मेरी कक्षा की मुख्य / पूरक परीक्षा वर्ष का माइग्रेशन (प्रतिलिपी / मूल) / प्रमाण पत्र / अस्थाई प्रमाण पत्र / अंक सूची प्रतिलिपी / बोर्ड प्रमाण पत्र / ट्रांसलेशन प्रमाण पत्र / अंकसूची का सत्यापन / अंकसूची में सुधार करने हेतु दी गई, उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य है किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी ।

संलग्न :-

1.
2.
3.
4.
5.

परीक्षार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर
परीक्षार्थी का नाम
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
.....
.....
जिला राज्य
पिन कोड मोबाईल नं.

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी /
शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने परीक्षा मुख्य / पूरक माह से उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण की / किया है। जिसकी अंक सूची / डुप्लीकेट प्रथम अंकसूची / अंक सूची सह प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट प्रथम अंक सूची सह प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट प्रमाण पत्र / प्रथम डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र / ट्रांसलेशन प्रमाण पत्र / डुप्लीकेट प्रमाण पत्र / अस्थायी प्रमाण पत्र गुम हो गया है / नष्ट हो गया है। अतः मुझे द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ।
उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है, उपरोक्त जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी।

दिनांक :

गवाह :- (1)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

(2)

शपथकर्ता का नाम

आवश्यक निर्देश

- नोट :- 1. शपथ-पत्र 10/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर भेजना आवश्यक है।
2. शपथ-पत्र पर प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी अथवा नोटरी का प्रमाणीकरण उनकी कोर्ट / नोटरी सील हस्ताक्षर सहित होना आवश्यक है।
3. प्रार्थना पत्र परीक्षार्थी द्वारा ही सुवाच्य अक्षरों में भरा जायें एवं उसी के द्वारा हस्ताक्षरित हो। परीक्षार्थी के लिये किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पर अभिलेख जारी नहीं किया जायेगा।
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ट्रांसलेशन प्रमाण पत्र अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. पूर्व पृष्ठ पर दर्शित किसी भी अभिलेख की प्रतिलिपि प्रति प्राप्त करने के लिए अंकसूची की छायाप्रति, आधार कार्ड एवं घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6. शुल्क प्रति, प्रतिलिपी अंकसूची / प्रमाण पत्र / माइग्रेशन - 10 वर्ष तक के अभिलेख हेतु 500/- रुपये, 10 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेख प्रथम बार हेतु 600/- रुपये, द्वितीय बार हेतु 1000/- रुपये, तृतीय बार हेतु 1500/- रुपये निर्धारित है। अंकसूची में सुधार एवं रिप्रिंट हेतु शुल्क परीक्षाफल घोषणा से 03 माह तक निःशुल्क, परीक्षाफल घोषणा से 03 माह बाद से 01 वर्ष तक प्रति अभिलेख 400/- रुपये, एवं परीक्षाफल घोषणा से 01 वर्ष से 20 वर्ष तक प्रति अभिलेख 600/- रुपये निर्धारित है। 20 वर्ष से अधिक के संशोधन (स्पेलिंग त्रुटि केवल) हेतु रु. 2000/- अतिरिक्त शुल्क निर्धारित है। प्रति अंकसूची सत्यापन हेतु 200/- रुपये निर्धारित है। प्रति ट्रांसलेशन प्रमाण-पत्र 50/- रुपये निर्धारित है।
7. सुधार हेतु 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, डी.एल.एड. प्रथम / द्वितीय वर्ष की मूल अंकसूची एवं छायाप्रति प्रमाणित (आवश्यकतानुसार) साथ ही हाईस्कूल दाखिल-खारिज पंजी की प्रति प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है। स्वाध्यायी / पत्राचार के विद्यार्थी दाखिल-खारिज पंजी की जगह 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। सुधार से संबंधित छात्र-छात्रा का आधार कार्ड, उपनाम में सुधार हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि में सुधार हेतु जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. शुल्क ए.टी.एम. कार्ड स्वाईप / बैंक ड्राफ्ट / चालान (यूको बैंक, पेंशनबाड़ा, रायपुर) / पोस्टल ऑर्डर - सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम पर देय होगा।
9. वर्ष 2003 से प्रतिलिपी अंकसूची / माइग्रेशन हेतु संबंधित संभागीय कार्यालयों - जगदलपुर, अम्बिकापुर, राजनांदगांव, एवं बिलासपुर में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर